

OFFICE OF THE FIRST APPELLATE AUTHORITY

(Appointed under Right to Information Act, 2005)

The Institute of Company Secretaries of India

ICSI House, C-36, Institutional Area, Sector-62

Noida – 201 309 (U.P.)

Appeal No. 24/2018

IN THE MATTER OF:

Atal Bihari Bhardwaj
C – 557, Kunta Sadan, J.D.A. Colony
Paldi Meena Agra Road, Jaipur
Mobile No. 9414442962

Appellant

Vs.

Central Public Information Officer
The Institute of Company Secretaries of India
'ICSI House'
22, Institutional Area, Lodi road
New Delhi – 110 003

Respondent

Date of Order: 29th October, 2018

ORDER

1. The Appellant has filed first appeal received in this Office on 1st October, 2018) under section 19(1) of the Right to Information Act, 2005 against information provided vide letter Ref. No. RTI 2005/2082(18) dated 7th August, 2018 by the Central Public Information Officer (CPIO) (hereinafter referred to as Respondent) of the Institute of Company Secretaries of India.
2. Under the RTI, the Appellant has requested for information as below :

- 3 राजस्थान के उन सभी उम्मीदवारों के नाम सूचित करे जिन्होंने कम्पनी सेक्रेटरी कोर्स की Practical Training (Internship) नहीं की है और वे पंजीकृत कम्पनी सेक्रेटरी भी है ।

Under the RTI, the Respondent has informed the Appellant that such type of data is not readily available.

- 5 राजस्थान के सभी पंजीकृत कम्पनी सेक्रेटरीज के नाम एवं उनके रजिस्ट्रेशन नम्बर सूचित करे ।

- 6 राजस्थान के सभी पंजीकृत कम्पनी सेक्रेटरीज के रजिस्ट्रेशन की दिनांक सूचित करे ।

Under the RTI, the Respondent has informed the Appellant to remit Rs.204/- @Rs.2/- per page (102 pages) (as per the Rules framed under RTI Act, 2005).

- 7 राजस्थान के सभी पंजीकृत कम्पनी सेक्रेटरीज ने जिस संस्था / विभाग / कम्पनी / बोर्ड / निगम / सहकारी संस्था / उपक्रम / स्वायत्तशासी विभाग से कम्पनी सेक्रेटरी कोर्स की Practical Training (internship) की है उसका नाम सूचित करे ।
- 8 राजस्थान के सभी पंजीकृत कम्पनी सेक्रेटरीज ने कब से कब तक कम्पनी सेक्रेटरी कोर्स की Practical Training (Internship) की है दिनांक सूचित करे ।
- 9 राजस्थान के उन सभी पंजीकृत कम्पनी सेक्रेटरीज के नाम सूचित करे जिन्होंने कम्पनी सेक्रेटरी कोर्स राज्य सरकार / सहकारी विभाग / स्वायत्तशासी विभाग में सर्विस करते हुए किया है ।

Under the RTI, the Respondent has informed that the said information is not being maintained.


3. In his appeal, the Appellant has informed :

- 1 बिन्दु संख्या 3 के संबंध में लेख है कि आपके लोक सूचना अधिकारी का जवाब " Such type of data is not readily available" जो कि पूर्णतः अनुचित है क्योंकि जिन उम्मीदवारों ने Practical Training की सूचना आपके संस्थान में प्रेषित नहीं की है तो आपने उनका पंजीकरण कैसे किया तथा बिना Training के आपका संस्थान वैधानिक रूप से उन सभी का पंजीकरण नहीं कर सकता है। अतः आपके पास में सूचना उपलब्ध होना आवश्यक है परन्तु लोक सूचना अधिकारी ने प्रार्थी को उपलब्ध नहीं कराया है अतः आप प्रार्थी को बिन्दु संख्या 3 की सूचना अवश्य प्रदान करवाये।
- 2 बिन्दु संख्या 5 एवं 6 के संबंध में प्रार्थी राशि 210 के IPO संख्या 40 एफ 905172, 52एच 335462 तथा 52एच 335463 संलग्न कर प्रेषित कर रहा है। अतः उक्त दोनों बिन्दुओं की सूचनाये प्रार्थी को अविलम्ब प्रेषित करें।
- 3 बिन्दु संख्या 7 के Reply में बड़े ही आश्चर्य का विषय है कि एक तरफ तो आपके लोक सूचना अधिकारी ने " The said information is not being maintained " लिखा है जो कि पूर्णतः अनुचित है और दूसरी तरफ मेरे आरटीआई प्रार्थना पत्र दिनांक 29/06/2018 के जवाब दिनांक 07/08/2018 के माध्यम से आपके लोक सूचना अधिकारी ने RIICO, जयपुर में की गई Training में जिन उम्मीदवारों ने भाग लिया है उनके नाम भी सूचित किये हैं प्रति संलग्न। अतः स्पष्ट है कि आपके संस्थान में सभी उम्मीदवारों ने जहां से भी Practical Training की है उनकी जानकारी अवश्य रूप से संधारित तो है, परन्तु लोक सूचना अधिकारी ने जान बूझकर प्रार्थी को बिन्दु संख्या 7 की सूचना प्रदान नहीं की है। अतः प्रार्थी को बिन्दु संख्या 7 की विस्तृत सूचना उपलब्ध कराये
- 4 बिन्दु संख्या 8 का जवाब भी आश्चर्यजनक होते हुए पूर्णतः अनुचित है क्योंकि मेरे आरटीआई प्रार्थना पत्र दिनांक 29/06/2018 के जवाब दिनांक 07/08/2018 के माध्यम से आपके लोक सूचना अधिकारी ने RIICO, जयपुर में की गई Training में जिन उम्मीदवारों ने भाग लिया है उनके नाम तथा उनकी प्रशिक्षण अवधि सूचित की है प्रति संलग्न। और दूसरी ओर वर्तमान आरटीआई प्रार्थना पत्र में " The said information is not being maintained " लिखा है जो कि पूर्णतः अनुचित अतः स्पष्ट है कि आपके संस्थान में सभी उम्मीदवारों ने जहां से भी Practical Training की है उनकी जानकारी संधारित तो अवश्य है, परन्तु आपने जान बूझकर प्रदान नहीं की है। अतः प्रार्थी को बिन्दु संख्या 8 की सूचना विस्तृत रूप से उपलब्ध कराये
- 5 बिन्दु संख्या 9 का जवाब भी पूर्णतः अनुचित है क्योंकि कई उम्मीदवारों ने सहायक सचिव के रूप में पदस्थापन के दौरान यह कोर्स किया है और उन्होंने Practical Training (Internship) से छूट भी प्राप्त की है और आपने उन सभी को छूट भी प्रदान की है अतः आपके पास में इस सूचना का रिकार्ड तो अवश्य उपलब्ध है परन्तु लोक सूचना अधिकारी ने प्रार्थी को उपलब्ध नहीं कराया है। इस प्रकार से आपने प्रार्थी को बिन्दु संख्या 9 की सूचना उपलब्ध नहीं कराई है अतः आप प्रार्थी को बिन्दु संख्या 9 की सूचना अवश्य प्रदान करवाये।

4. This Office has carefully considered the application, the response, the appeal and the records made available and finds that the matter can be decided based on the material available on record.

5. This Office concurs with the submission of the respondent against query No. 3, 7, 8 & 9 and the Appellant against query No. 5 & 6 as above.
6. The Respondent is directed to send requisite information against query no. 5 & 6 within 15 working days from the date of issue of this order.

The appeal is accordingly disposed of.



(Ankur Yadav)
First Appellate Authority

Copy to:

1. Atal Bihari Bhardwaj
C – 557, Kunta Sadan, J.D.A. Colony
Paldi Meena Agra Road, Jaipur
Mobile No. 9414442962
2. Mr. Surya Narayan Mishra
Central Public Information Officer
The Institute of Company Secretaries of India
ICSI House, 22, Institutional Area
Lodi Road
New Delhi - 110 003
3. Directorate of IT For publishing on the website